and implemented as assured by Government so as to prepare the ground for election to the State Assembly in the State;

(b) if so, the details in this regard; and

(c) if reply to part (a) above be in the negative, the steps taken in this regard and the reasons for failure to evolve the comtemplated action plan?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI SUBODH KANT SAHAY): (a) to (c). Situation in Punjab is kept under constant review and appropriate action taken to restore peace and normalcy in the State. Such action includes, interalia, steps to fight terrorism, toning up of administrative/ law and order machinery as also developmental activities.

दिल्ली पुलिस के कार्मिकों के विरुद्ध दर्ज किए गए बलात्कार के मामले

574. **श्री अजीत जोगी :**
कुमारी आलिया :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1990 से जून, 1990 तक की अवधि के दौरान दिल्ली पुलिस के कांस्टेबलों तथा अधिकारियों के विरुद्ध कितने बलात्कार के मामले दर्ज किये गये ; और

(ख) दिल्ली पुलिस के कितने कांस्टेबलों तथा अधिकारियों को उक्त मामलों में दंडित किया गया और उनमें से कितनों के विरुद्ध न्यायालयों में मामले विचाराधीन हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) तीन मामले दर्ज किये गये हैं ।

(ख) गिरफ्तार किये गये 5 कांसटेबलों में से 4 को बर्खास्त कर दिया गया है और एक को निलंम्बित किया गया है । सभी कांस्टेबलों पर न्यायालय में मुकदमा चल रहा है ।

कश्मीर घाटी से प्रव्रजन

575. **श्री अजीत जोगी :**
कुमारी आलिया :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कश्मीर में लगातार हिंसात्मक घटनाओं के कारण राज्य तथा केन्द्रीय सरकार के कुल कितने कर्मचारी कश्मीर घाटी छोड़कर जम्मू और देश के अन्य स्थानों में चले गये हैं ;

(ख) क्या सरकार उन कर्मचारियों को वेतन और अन्य भत्तों का भुगतान कर रही है ;

(ग) क्या कश्मीर घाटी में सामान्य स्थिति बहाल होने तक इन कर्मचारियों को जम्मू क्षेत्र में अथवा अन्य स्थानों पर नियुक्त किया जा रहा है ;

(घ) क्या कश्मीर छोड़कर आने वाले उन कर्मचारियों के लिये जम्मू क्षेत्र में समुचित आवास व्यवस्थाएं की गई हैं ; और

(ङ) कश्मीर छोड़कर आये इन कर्मचारियों के बच्चों को विद्यालयों और कालेजों में दाखिला देने के लिये क्या प्रबंध किये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) :

विवरण

(क) से (ङ) जम्मू और कश्मीर तथा दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार अक्तूबर, 1990 तक जम्मू

में 13,600 से भी अधिक तथा दिल्ली में 2800 से भी अधिक सरकारी कर्मचारियों में अपने आपको प्रवासी दर्ज कराया । केन्द्रीय सरकार तथा जम्मू और कश्मीर की राज्य सरकार को अगले आदेशों तक प्रवासी कर्मचारियों को छुट्टी का वेतन देने के लिये अनुदेश जारी किये गये हैं । घाटी में अनिवार्य सेवायें बनाये रखने के लिये जिन प्रवासी कर्मचारियों को वहां उपस्थित रहना आवश्यक नहीं है, घाटी से अन्यत्र, रिक्तियां होने पर उन्हें समायोजित करने के लिये भी सरकार द्वारा अनुदेश जारी किये गये हैं ।

प्रवासी कर्मचारियों के लिये अलग से कोई आवास व्यवस्थायें नहीं की गई हैं तथापि, अनेक प्रवासियों को जम्मू क्षेत्र तथा दिल्ली में सरकारी भवनों, शिविरों तथा सामुदायिक केन्द्रों में ठहराया गया है ।

उन प्रवासियों के बच्चों के लिये, जो घाटी में विभिन्न व्यावसायिक तथा अन्य कालेजों में अपनी पढ़ाई जारी नहीं रखना चाहते हैं, घाटी से बाहर के कालेजों में पढ़ाई जारी रखने के लिये प्रवेश देने हेतु भी अनुदेश जारी किये गये हैं । मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने आर.ई.सी. श्रीनगर के प्रवासी छात्रों को अन्य राज्यों के इंजीनियरिंग कालेज में प्रवेश देने को अंतिम रूप दे दिया है । इसी प्रकार घाटी में से बाहर मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज तथा अन्य अनुशासन संस्थानों के छात्रों द्वारा प्रवासियों के लिये प्रबंध किये गये हैं ।

लघु औद्योगिक एककों का आधुनिकीकरण करने हेतु एक शीर्ष निकाय की स्थापना

576. **श्री अजीत जोगी :**
कुमारी आलिया :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिये लघु औद्योगिक एककों का आधुनिकीकरण करने हेतु एक शीर्ष निकाय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) नये निकाय के गठन से पहले खादी ग्रामोद्योग सहित मौजूदा आधारभूत ढांचे में सुधार लागने और इसका पुनर्गठन करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) और (ख) लघु तथा कृषि उद्योगों के संवर्धन के लिये 30-5-1990 को सरकार द्वारा प्रस्तावित किये गये नीति संबंधी उपायों में लघु उद्योग विकास संगठन (सीडी) में एक शीर्ष प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र के अधीन औजार कक्ष, प्रक्रिया तथा उत्पाद विकास केन्द्र, परीक्षण केन्द्र आदि स्थापित करने का एक प्रस्ताव शामिल है । यह प्रस्ताव आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिये कार्यक्रम आरम्भ करने की दृष्टि से किया गया है । जिसके परिणामस्वरूप लघु क्षेत्र में निर्मित उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार होगा ।

(ग) समिति, जिसने के.वी.आई.सी. की नीतियों व कार्यक्रमों की समीक्षा की थी, की रिपोर्ट के आधार पर ग्रामीण तथा कुटीर उद्योगों में कार्य कर रहे बड़ी संख्या में कारीगरों की मदद करने के उद्देश्य से के.वी.आई.सी. अधिनियम का संशोधन किया गया है। उत्तरदायित्वों को अधिक कारगर रूप से पूरा करने के लिये के.वी.आई.सी तथा के.वी.आई. बोर्डों को मजबूत किया जायेगा । ग्रामोद्योगों के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने की दृष्टि से के.वी.आई.सी. के अधीन आने वाले ग्रामोद्योगों की परिभाषा में भी संशोधन किया गया है, जिसके अनुसार ऐसा कोई भी उद्योग के.वी.आई.सी. से वित्त पाने का पात्र